कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक–Q15 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनॉक 30.05.2020

विविध कार्यालयीन आदेश

(आज दिनांक 30.05.2020 को पारित)

माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक बी / 1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020 द्वारा कोविड–19 के बढ़ते हुये संक्रमण को देखते हुये पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू–13 दिनांक 17.05.2020 एवं अन्य समय–समय पर जारी ज्ञापन एवं स्पष्टीकरण को अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य संचालन के संबंध में आगामी दिनांक 07 जून 2020 तक विस्तृत किया गया है।

अतः इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र / आदेश क्रमांक क्यू–13 को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी / 1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020 के संदर्भ में दिनॉक 07 जून 2020 तक विस्तृत किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक क्यू–13 दिनांक 17.05.2020 के अनुसार समस्त न्यायालय कार्य के सुचारू संचालन के उद्देश्य हेतु आपराधिक और सिविल प्रकरणों के दिनवार स्लॉट तय कर सकते हैं, जिनकी तिथियॉ संबंधित न्यायालयों द्वारा नियत कर अधिवक्ताओं को सूचित की जायेंगी।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आज दिनांक 30.05.2020 को जारी परिपत्र द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान बार रूम उनके सदस्यों के लिये खुला रहेगा, जहॉ वह मास्क पहनकर आयेंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करेंगे। अतः उक्त संदर्भ में अधिवक्ता जिनका अर्जेंट प्रकृति का कार्य नियत है, वे बार रूम में उपस्थित रह सकेंगे तथा उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अवधि में अर्जेंट प्रकृति के अथवा आसन्न आकस्मिकता प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई पूर्वानुसार माननीय उच्च न्यायालय के जारी परिपत्रों के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये ज्ञापनों के अनुसार की जाती रहेगी। अर्जेंट प्रकृति में सभी प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा शामिल रहेंगे।

(बी0एस0 भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपिः–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3– अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील– सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7– पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

8– जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with CamScanner

9— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

10— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

11— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

12— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

14— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

15— प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/—

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner